पत्रांक : केन्द्रीय (मा०)-430/21-के0-1326

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 04/11/2023

विषयः—वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले नियमित रूप से अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं का उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) आयोजित कर परीक्षाफल जमा कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले पंजीकृत नियमित रूप से अध्ययनरत् एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक विषयों की उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा विद्यालय के स्तर पर दिनांक **22.11.2023 को** एवं सैद्धान्तिक परीक्षा का आयोजन दिनांक **23.11.2023 से 27.11.2023** तक आयोजित होगी, जिसका कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश पी०आर० 395/2023 द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु आज दिनांक 04.11.2023 को संसूचित है, जो आपके ई०—मेल पर भी प्रेषित की जा चुकी है।

2. उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा आयोजित करने हेतु आपके कार्यालय में प्रश्न पत्र दिनांक 10.11.2023 से 15.11.2023 तक की अवधि में उपलब्ध कराये जायेंगे, जहाँ से विद्यालय के प्रधान स्वयं अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे।

3. विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाली उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत् एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं को शामिल होना अनिवार्य है। उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा में वही छात्र/छात्रा सम्मिलित होंगे, जो विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत् हैं तथा जिनकी उपस्थिति उनके विद्यालय में न्यूनतम 75 प्रतिशत हो। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। यदि उक्त कोटि के परीक्षार्थी किसी विषय/विषयों की उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, अर्थात अनुपस्थित रहते हैं अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण (FAIL) रहते हैं, तो वैसे परीक्षार्थी को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती (Ex.) कम्पार्टमेन्टल (Compartmental) एवं सम्मुनत (Improvement) कोटि के छात्र/छात्रा को उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना है।

4. अंकनीय है कि गत वर्ष की भाँति उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा की व्यवस्था (प्रणाली) को पारदर्शी एवं उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है, ताकि इन परीक्षाओं की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं इसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थी वास्तविक रूप से समिति द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के मापदण्ड पर अपने अर्हता एवं योग्यता प्रमाणित कर सके। इस उद्देश्य से निदेशक (मा0 शि0) के ज्ञापांक 09/बि0वि0प0स0—12/2020—557, दिनांक 18.09.2020 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में निम्नांकित कार्रवाई की जानी हैः—

(i) उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का विषयवार निर्धारण समिति स्तर पर किया गया है तथा इसकी आपूर्ति समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निःशुल्क उपलब्ध होगा। इस पर होने वाला व्यय समिति द्वारा वहन किया जाएगा और इसके लिए विद्यार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(ii) समिति द्वारा आपूरित प्रश्न पत्र का प्रारूप माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप तैयार किया गया है, ताकि परीक्षार्थी पूर्व से ही समिति द्वारा आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें।

Letter C1_23_764

प्र्ति 6/11/23

(iii) उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा का आयोजन एवं मूल्यांकन पूर्व व्यवस्था के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के स्तर पर ही किया जाएगा।

5. अनुरोध है कि सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान को निदेश देंगे कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा, जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी, को उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाए। कार्यक्रम के अनुसार अपने विद्यालय से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने वाले नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं की उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा आयोजित कर विहित पंजी में प्राप्तांक प्रविष्ट कर परीक्षाफल का विवरण (Excel Format English Font में) सॉफ्ट कॉपी की सी0डी0 तथा हार्ड कॉपी (हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त) जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक **05.12.2023** तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

6. इसी क्रम में अंकनीय है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 09/विविध–34/2023/800, दिनांक 21.10.2023 द्वारा निदेशित किया गया है कि जिन विद्यार्थियों का विद्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण नामांकन रद्द किया जा चुका है, उन्हें वर्ष 2024 की वार्षिक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आयोजित उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा मे शामिल नहीं किया जाएगा तथा वे आगामी वार्षिक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी प्रेषित है।

6.1 उक्त विभागीय पत्र के आलोक में समिति पत्रांक–BSEB(SS)/KEN/1126/2023, दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से भी विभागीय निदेश से आपको अवगत कराया गया है।

7. वर्तमान सत्र 2023–2024 के लिए मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत् नामांकित/अध्ययनरत् नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा, जिनका ऑनलाइन आवेदन वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने के लिए भरा गया है और किसी कारणवश उस संस्थान की मान्यता/संबद्धता निलंबित/रद्द/वापस ली गई हो तथा उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा, 2023 के परिप्रेक्ष्य में कोई मामला सामने आता हो, तो ऐसे विद्यालयों के परीक्षार्थियों को जिन विद्यालयों के साथ संबद्ध किया गया है अथवा निकट के राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के साथ संबद्ध कर उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में सम्मिलित कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए समिति को भी प्रतिवेदित करेंगे।

8. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि अपने स्तर से जिला के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान को उत्प्रेषण जाँच (Sent-up) परीक्षा के संबंध में पत्र एवं दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग (V.C) के माध्यम से स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)–430/21 के०-1326/पटना, दिनांक : 04/11/2023

प्रतिलिपिः–1. उप निदेशक आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस पत्र को BSEB Mobile App एवं समिति के वेबसाईट पर डाल दिया जाए ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई०टी० एवं परीक्षा नियंत्रक (उ०मा0) को सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

Letter C1_23_765